न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 140 सन 2017

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

सायल

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर
2. ठाकरी देवी पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुन्दर पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. रूकमा पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी तहसील भादरा हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 308/343 की कुल 2.040हैक भूमि मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर की स्वअर्जित कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसने अपनी स्वैच्छा से अपने पुत्रों की सेवा चाकरी से खूश होकर मोतबिरान के रूबरू दिनांक 29.05.2001 को रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रों के नाम से करवाई गई थी।

मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार के देहान्त होने के बाद सायल व गैरसायल न0 1 दोनो वसीयत के अनुसार मनीराम पुत्र चतरूराम की भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे मनीराम पुत्र चतरूराम के अन्य वारिसान को वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही था।

गैरसायल न0 2 ता 4 गैरसायल न0 1 के साथ मिलकर लालवंश मनीराम पुत्र चतरूराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को मनीराम पुत्र चतरूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण करवाकर सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 पांचों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जो सायल के हकों के मुकाबले शुन्य है।

मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार के देहान्त होने पर सायल चतरूराम के देहान्त होने पर मनीराम की वसीयत दिनांक 29.05.2001 के अनुसार वाद भूमि सायल व गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी था किन्तु गैरसायलान ने मनीराम पुत्र चतरूराम के देहान्त हो पर लालंचवंश विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई गई है जिसे मनीराम की वसीयत के अनुसार सायल व गैरसायल न0 2 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज होने के कारण गैरसायल न0 1 ता 4 राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने को फायदा उठाकर अन्य को फरोख्त करने पर उतारू है एवं वाद भूमि की स्थिति परिर्वतन की धमकी दे रहे है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को नापूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 308/343 की कुल 2.040हैक भूमि जो गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार मुन्तकिल ना करे रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 5 ,6 की और से पेरोकार राज उपस्थित जो फोरमल पक्षकार है जबाब की आवश्यकता नही है एवं गेरसायल न0 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वाद भूमि मनीराम पुत्र चतरूराम की पैतृक सम्पति थी जिसमें सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा था मनीराम को समस्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था ना ही मनीराम ने ऐसी कोई वसीयत अपने जीवनकाल में की गई है ना ही सूना गया है वसीयत कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर तैयार की गई है जो सायल के हकों के मुकाबले शुन्य है प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 308/343 की कुल 2.040हैक भूमि मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार निवासी चिडियागांधी हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर की स्वअर्जित कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसने अपनी स्वैच्छा से अपने पुत्रों की सेवा चाकरी से खूश होकर मोतबिरान के रूबरू दिनांक 29.05.2001 को रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रों के नाम से करवाई गई थी।

मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार के देहान्त होने के बाद सायल व गैरसायल न0 1 दोनो वसीयत के अनुसार मनीराम पुत्र चतरूराम की भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे मनीराम पुत्र चतरूराम के अन्य वारिसान को वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही था।

गैरसायल न0 2 ता 4 गैरसायल न0 1 के साथ मिलकर लालवंश मनीराम पुत्र चतरूराम के नाम से दर्ज वाद भूमि को मनीराम पुत्र चतरूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण करवाकर सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 पांचों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जो सायल के हकों के मुकाबले शुन्य है।

मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार के देहान्त होने पर सायल चतरूराम के देहान्त होने पर मनीराम की वसीयत दिनांक 29.05.2001 के अनुसार वाद भूमि सायल व गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी था किन्तु गैरसायलान ने मनीराम पुत्र चतरूराम के देहान्त हो पर लालंचवंश विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई गई है जिसे मनीराम की वसीयत के अनुसार सायल व गैरसायल न0 2 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज होने के कारण गैरसायल न0 1 ता 4 राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने को फायदा उठाकर अन्य को फरोख्त करने पर उतारू है एवं वाद भूमि की स्थिति परिर्वतन की धमकी दे रहे है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को नापूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल न0 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि मनीराम पुत्र चतरूराम की पैतृक सम्पति थी जिसमें सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा था मनीराम को समस्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था ना ही मनीराम ने ऐसी कोई वसीयत अपने जीवनकाल में की गई है ना ही सूना गया है वसीयत कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर तैयार की गई है जो सायल के हकों के मुकाबले शुन्य है प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज होगी या वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड

में सायल गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज होगी प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 308/343 की कुल 2.040हैक भूमि सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं प्रस्तुत मनीराम पुत्र चतरूराम जाति कुम्हार अर्थात सायल के पिता ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत सायल एवं गैरसायल न0 1 दोनो के पक्ष में करवाई गई थी मनीराम पुत्र चतरूराम का देहान्त हो चुका है मनीराम की वसीयत के आधार पर सायल व गैरसायल न0 1 का हक हिस्सा हो सकता है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायल न0 1 दोनो के पक्ष में सामान रूप से प्रतित होता है।

सायल के पिता मनीराम पुत्र चतरूराम ने अपनी जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत सायल व गैरसायल न0 1 के पक्ष में करवाई गई थी एवं मनीराम का देहान्त हो चुका है मनीराम के द्वारा करवाई गई वसीयत उप पंजीयक कार्यालय नोहर से पंजीबद्व है जिसके शुन्य होने या किसी न्यायालय के द्वारा निरस्त करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है ना ही प्रस्तुत किया गया है अर्थात प्रथम दृष्टया वसीयत प्रभावी मानी जा सकती है।

यह तथ्य तो वाद मे तय होगा की सायल विरास्तन से या वसीयत के अनुसार वाद भूमि पाने का अधिकारी है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिस कारण गैरसायल संख्या 1 ता 4 कभी भी वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है यदि ऐसा होता है तो सायल के हकों का हनन हो सकता है इसलिये जब तक वाद में सायल का हक हिस्सा तय नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतित होती है अर्थात अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु सायल के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 26.12.2017 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)